प्रेस नोट
दिनांक 06.04.2024

थाना को0 मनकापुर पुलिस द्वारा गैंगस्टर ऐक्ट के 02 वांछित अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार–

कार्यवाहीः–

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक गोण्डा पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी मनकापुर श्री राजेश कुमार सिंह के नेतृत्व में गठित थाना को0 मनकापुर पुलिस टीम द्वारा कड़ी मेहनत व अथक प्रयासोपरांत मु0अ0सं0–154/24, धारा 3(1) यू0पी0 गैंगस्टर ऐक्ट से सम्बन्धित 02 वांछित अभियुक्तों–01. रमेश तिवारी, 02. रामकुमार वर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–

आज दिनांक 06.04.2024 को थाना को0 मनकापुर के अति0 प्र0नि0 हरिश्चन्द्र भारती मय फोर्स शांति व्यवस्था हेतु क्षेत्र भ्रमण में रवाना थे कि मुखबिर खास द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि गैंगस्टर ऐक्ट के वांछित अभियुक्तगण अधियारी चौराहा धुसवा मोड़ के पास खड़े है। प्राप्त सूचना के आधार पर पुलिस बल द्वारा घुसवा मोड़ के पास घेराबन्दी कर अभियुक्तगण रमेश तिवारी व रामकुमार वर्मा को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगणों का एक आपराधिक गिरोह है जो भौतिक एवं आर्थिक लाभ प्राप्त करने हेतु मोटरसाईकिल चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया करते थे। गिरफ्तार अभियुक्तगणों के विरूद्ध थाना को0 मनकापुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्तगण–

01. रामेश तिवारी पुत्र श्याम नारायन तिवारी नि0 ग्राम मंगवाना थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा।
02. रामकुमार वर्मा पुत्र लाल वर्मा नि0 ग्राम तेजी पुरवा सिसई भीखपुर थाना को0 मनकापुर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–154/24, धारा 3(1) यू0पी0 गैंगस्टर ऐक्ट थाना को0 मनकापुर जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम–

01. अति0प्र0 नि0 हरिश्चन्द्र भारती।
02. व0उ0नि0 प्रबोध कुमार।
03. हे0का0 विजय नाथ।
04. हे0का0 सुरेश कुमार गुप्ता।

<u>अभियुक्त रमेश तिवारी व अभियुक्त श्याम नारायण तिवारी का आपराधिक इतिहास–</u>

01. मु0अ0सं0–601/2023, धारा 411,413,419,420,467,468,471 भादवि थाना को0 मनकापुर जनपद गोण्डा।

02. मु0अ0सं0–600/2023, धारा 379,411 भादवि थाना को0 मनकापुर जनपद गोण्डा।

03. मु0अ0सं0–599/2023, धारा 379,411 भादवि थाना को0 मनकापुर जनपद गोण्डा।

04. मु0अ0सं0–582/2023, धारा 379,411 भादवि थाना को0 मनकापुर जनपद गोण्डा।

05. मु0अ0सं0–418/2023, धारा 379 भादवि थाना को0 मनकापुर जनपद गोण्डा।

<u>मीडिया सेल, गोण्डा।</u>

<u>प्रेस नोट</u>
<u>दिनांक 06.04.2024</u>

<u>पुलिस अधीक्षक गोण्डा के निर्देशन में बाल श्रम की रोकथाम संचालित दुकानों और होटलों की चेकिंग की गयी—</u>

गोण्डा। आज दिनांक 06.04.2024 को शासन द्वारा चलाए जा रहे बाल श्रम मुक्त अभियान के संबंध में श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल के निर्देशन एवं नोडल अधिकारी श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के कुशल मार्गदर्शन में थाना एएचटीयू टीम, चाइल्ड हेल्पलाइन और अपराजिता सामाजिक समिति द्वारा थाना मनकापुर क्षेत्र अंतर्गत कस्बा एवं बाजार में संचालित दुकानों और होटलों की चेकिंग की गयी। अभियान के दौरान चाइल्ड लाइन से प्रोजेक्ट कोडिनेटर श्री आशीष मिश्रा, अपराजिता सामाजिक समिति से आत्रेय त्रिपाठी द्वारा रोकथाम हेतु शासन द्वारा चलाई जा रही नीतियों के बारे मे दुकानदारों को अवगत कराया एवं हिदायत दी गई की भविष्य में किसी भी प्रकार के बच्चों से बाल श्रम ना कराये यदि बच्चे बाल श्रम करते पकड़े जाते हैं तो थाना ए0एच0टी0यू0 प्रभारी के द्वारा विधिक कार्यवाही की जाएगी। इसी क्रम में अभियान के दौरान महिला एवं बच्चों को जागरूक किया गया और महिलाओं को महिला संबंधी अपराधों के बारे में अवगत कराया गया।

<u>इस मौके पर थाना ए0एच0टी0यू0 प्रभारी श्री अरुण कुमार, उप निरीक्षक श्री रामकिशोर प्रसाद, मुख्य आरक्षी गऊ चरन, मुख्य आरक्षी हरेंद्र प्रसाद मौजूद रहे।</u>

<u>मीडिया सेल, गोण्डा।</u>

प्रेस नोट

दिनांक 06.04.2024, थाना छपिया,
जनपद गोण्डा।

थाना छपिया पुलिस द्वारा दानपत्र चोरी करने के आरोप में 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से चोरी का दानपत्र बरामद–

कार्यवाहीः–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार राव के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी मनकापुर श्री राजेश कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना छपिया पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0–92/24, धारा 379,411 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त प्रदीप को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से से चोरी का दानपत्र बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–

आज दिनांक 06.04.2024 को प्रातः थाना छपिया क्षेत्र अन्तर्गत ग्राम चुवाड में स्थित हनुमान जी के मंदिर में रखे दानपत्र को अभियुक्त प्रदीप द्वारा चोरी कर लिया गया था। वादी अभिषेक कुमार मिश्रा पुत्र विनोद मिश्रझ्झ ग्राम चुवाड थाना छपिया की तहरीर पर थाना छपिया में सम्बन्धित धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ था। थाना छपिया पुलिस द्वारा उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चोरी का दानपत्र बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना छपिया पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त–

01. प्रदीप पुत्र राम प्रकट कहार नि0 ग्राम चुवाड़ थाना छपिया जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–92/24, धारा 379,411 भादवि थाना छपिया जनपद गोण्डा।

बरामदगी–

01. 01 अदद दानपत्र।

गिरफ्तार कर्ता टीम–

01. हे0मो0 जयहिन्द।